


ज.स. २२/२०२५  
GCMIS No. २०२५/८९

बैंक ऑफ बडोदा शाखा खेड़ा v/s स्व.श्री हेमंत कुमार गौरी

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	पालना/ आदेश का विवरण
27.03.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिये गये नोटिस की तामिल संबंधी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न होना नहीं पाया गया। वकील प्रार्थी को अप्रार्थी के नोटिस की तामिल संबंधी दस्तावेज की प्रति पेश करने बाबत पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के नोटिस की तामिल संबंधी दस्तावेज की प्रति पेश नहीं की गयी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	

